

देवघर समाहरणालय
(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :—

अधिसूचना संख्या 798/भू अ०

दिनांक : 31/11/17

चूँकि झारखण्ड सरकार / समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-खजुरिया, थाना-देवघर, थाना सं०-क/638, अंचल-देवघर, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना देवघर-मधुपुर पथ उन्नयन परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम- खजुरिया, थाना- देवघर, थाना सं०-638, अंचल-देवघर, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.25 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है—

क. स.	खात सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	28	298	रैयती	बाड़ी-2	0.03	लालदेव दास पे० स्व० हितु महारा।	गौरी पुर	चांद डीह	बेला, बसम ता	बिसुन पुर
2	28	299	रैयती	बाड़ी-2	0.04	तथैव				
3	14	300	रैयती	बाड़ी-2	0.03	करमी देवी वो सुदनी देवी वो पोटमी देवी वो बोरमी देवी पे० स्व० मुलड़ महारा।				
4	76	301	रैयती	बाड़ी-2	0.05	प्रमिला देवी वो उर्मीला देवी वो निर्मला देवी पे० स्व० कालेश्वर महारा वो लीलू दास वो वीलू दास पे० स्व० मोजी महारा वो अंग्रेज दास पे० स्व० जोती दास वो आदी देवी पति स्व० शिवनारायण महारा वो मुरली दास पे० स्व० गुरमीही महारा वो गोविन्द दास वो सुरेश दास, माता स्व० चंचला देवी।				
5	76	303	रैयती	बाड़ी-2	0.07	तथैव				
6	80	302	रैयती	बाड़ी-2	0.03	सुलफी देवी पे० स्व० गुलो महारा वो रामदेव दास पे० स्व० कोल्लो महारा वो सुचित महारा वो भगत महारा वो रामेश्वर महारा पे० स्व० केटकहा महारा वो चन्द्र देव महारा पे० स्व० मुंशी महारा।				
कुल रकवा-					0.25					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय

03-11-2017

नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेंगी।

ज्ञापांक 798 / भू अ0, देवघर, दिनांक 31/11/17
 प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी
 देवघर
 28/10/17

अपर समाहर्ता
 देवघर
 03-11-2017

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
 देवघर।
 3/11/17

जिला भू अर्जन पदाधिकारी
 देवघर
 28/10/17

अपर समाहर्ता
 देवघर
 03-11-2017

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
 देवघर।
 3/11/17